

विविध बैंक प्रकरण सं० 25/2019 (RCMS 2019/00042) पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा श्री गुरुनानक गर्ल्स सी. सै. स्कूल, श्रीगंगानगर जरिए प्राधिकृत अधिकारी बनाम 1. श्री दर्शन कुमार पुत्र स्व. श्री भागचन्द उर्फ भागुराम 2. श्रीमती कला देवी पत्नी स्वत्र श्री भागचन्द उर्फ भागुराम 3. श्रीमती मैना देवी पत्नी श्री दर्शन कुमार निवासी मकान नं. 51-बी व 52-बी, भरत नगर, चक 6 जैड, मुरब्बा नम्बर 17/26, किला नम्बर 12, श्रीगंगानगर 4. श्री रोहितश शर्मा पुत्र कैलाश चन्द्र शर्मा निवासी 3 ई छोटी, गली नं. 3, श्रीगंगानगर

07.08.2019



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने जरिए अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी दर्शन कुमार, कला देवी, मैना देवी एवं रोहितश शर्मा को ऋण सुविधा के रूप में 6.00 लाख रुपये (अखरे रुपये छः लाख मात्र) का ऋण दिनांक 18.04.2015 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी दर्शन कुमार एवं कैला देवी की अचल सम्पत्ति मकान 51 बी व 52 बी, भरत नगर, 6 जैड, मुरब्बा नम्बर 17/12, किला नम्बर 12, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1920 वर्गफीट) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी एवं अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.09.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 29.09.2017 को 5,76,265/-रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 10.11.2017 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी कला देवी एवं दर्शन कुमार द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति मकान 51 बी व 52 बी, भरत नगर, 6 जैड, मुरब्बा नम्बर 17/12, किला नम्बर 12, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1920 वर्गफीट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 16, किल्ला नं. 16, मुरब्बा नं. 02, पत्थर नं. 65/25, चक 2 जीडी(ए) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 591.75 वर्गफुट) जो ऋणी कला देवी एवं दर्शन कुमार के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।


जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 10.11.2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 10.11.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण दर्शन कुमार, कला देवी, मैना देवी एवं रोहताश शर्मा के नाम जारी किया गया है परन्तु प्रार्थी बैंक ने पोस्ट

**जिला मजिस्ट्रेट**  
**श्री गंगानगर**

ऑफिस की धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की एवं प्राप्ति की ए.डी.रसीद संलग्न नहीं की है। जिसके अभाव में अप्रार्थीगण पर नोटिस की तामील होना नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा गुरुनानक गर्ल्स स्कूल, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 22.01.2019 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 अस्वीकार किया जाता है और प्रार्थी बैंक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत अप्रार्थीगण की पुनः तामील करवाकर इस न्यायालय में उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रकरण पुनः पेश करने के लिए स्वतंत्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(शिवप्रसाद एम. नकाते)  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर